सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: **NCST/ATY-2643/MYAS/1/2025-RU-II** **दिनांक: 22.07.2026**

सचिव,
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,
भारत सरकार
सी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली,
दिल्ली-110001
ई-मेल: secy-sports@nic.in

महानिदेशक,
भारतीय खेल प्राधिकरण,
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर (पूर्वी द्वार),
लोधी रोड, नई दिल्ली, दिल्ली-110003
ई-मेल: dg-sai@gov.in

विषय: कार्यस्थल पर शोषण और मानसिक उत्पीड़न, तथा सेवा से अवैध निष्कासन के संबंध में श्री कपिल कुमार मीणा, हेड शेफ़, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, नई दिल्ली-110003 का दिनांक 21.02.2025 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 17.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री कपिल कुमार मीणा,
हेड शेफ़,
मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम,
नई दिल्ली-110003

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या - NCST/ATY-2643/MYAS/1/2025-RU-II

श्री कपिल कुमार मीणा द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारी के साथ कथित जातिगत उत्पीड़न, भेदभाव एवं सेवा से पृथक्करण के संबंध में दिनांक 17.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक :17.06.2026
सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी :अनुलग्नक-I के अनुसार।

2. प्रकरण आयोग को दिनांक 21.02.2025 को प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर संज्ञान में लिया गया। अभ्यावेदन के अनुसार, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली में हेड शेफ के पद पर कार्यरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारी श्री कपिल कुमार मीणा ने आरोप लगाया कि दिनांक 22.01.2025 को उनके सहायक शेफ द्वारा उनकी जाति एवं धर्म को लेकर उनके साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा उक्त घटना की आंतरिक शिकायत संबंधित प्रशासकीय अधिकारी को प्रस्तुत की गई थी, जिसके उपरांत मामले की जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया।

3. याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने सहायक शेफ श्री पुनीत कश्यप द्वारा कथित रूप से रिश्वत लेने का मामला उठाया था, जिसके पश्चात उन्हें दिनांक 17.02.2025 को सेवा से हटाए जाने संबंधी पत्र जारी किया गया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित कर्मचारी के साथ भेदभावपूर्ण एवं प्रताड़नात्मक व्यवहार किया गया है।

4. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 13.08.2025 को सचिव, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली को नोटिस जारी कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। तथापि, आयोग के अभिलेखों के अनुसार संबंधित विभागों द्वारा आज दिनांक तक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5.सुनवाई के दौरान आयोग ने इस तथ्य पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया कि आयोग द्वारा जारी नोटिस के बावजूद संबंधित मंत्रालय एवं भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कोई तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। आयोग ने यह भी अवलोकन किया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारी द्वारा लगाए गए जातिगत उत्पीड़न एवं सेवा संबंधी भेदभाव के आरोप गंभीर प्रकृति के हैं तथा उनकी निष्पक्ष जांच किया जाना आवश्यक है।

6. सुनवाई दिनांक के दिन उपस्थित प्राधिकारी ने बताया कि अभ्यावेदक संविदा कर्मचारी थें तथा उनके सेवा शर्तों में एक महीने का नोटिस दिये जाने के बाद हटाया जाना नियमानुसार है। प्राधिकारियों ने यह भी अवगत कराया क्योंकि हम खेल से जुड़े संस्था है और हमारे यहां महिला खिलाड़ी की सुरक्षा तथा खेल के आवश्यकता के अनुसार कार्य करना आवश्यक होता है किंतु अभ्यावेदक के विरुद्ध सभी स्तर से शिकायतें प्राप्त हो रही थी जिसके कारण जांच उपरांत उन्हें हटाया गया है।अनावेदक भी एससी वर्ग से ही है।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के परीक्षण के उपरांत माननीय आयोग ने निम्न निर्णय किया :-

(i) चूंकि यह प्रकरण अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के मध्य है अतः जातिगत भेद-भाव न होने के कारण आयोग के कार्यविधि नियम के अनुशार यह पत्रावली बंद किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-।

****

फाइल. सं. NCST/ATY-2643/MYAS/1/2025 RU-II

दिनांक. 17.06.2026

विषय: कार्यस्थल पर शोषण और मानसिक उत्पीडन, तथा सेवा से अवैध निष्कासन के संबंध में श्री कपिल कुमार मीणा, हेड शेफ, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, नई दिल्ली-110003 का दिनांक 21.02.2025 का अभ्यावेदन के सम्बंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 17.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेंदु कांत	निदेशक		
3.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4.	श्री विवेकानंद शुक्ला	अन्वेषक		

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

भारत सरकार

सी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, दिल्ली-110001

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				

महानिदेशक,

भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर (पूर्वी द्वार),

लोधी रोड, नई दिल्ली, दिल्ली-110003

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	Aakarsh Pundir.	Deputy Director.	8174800714	[signature]
2.	Manikant Sikera.	YP (Legal)	9759459898	[signature]
3.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				